न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : श्री वीरेन्द्रसिंह चौधरी, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 42/2018

आरसीएमएस नम्बर : 2018/00324

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
हुकमीचन्द पुत्र गोरधन जाति दर्जी निवासी ईसाली, तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.)		1. सरपंच ग्राम पंचायत ईसाली तहसील मारवाड़ जंक्शन जिला पाली (राज.) 2. रजीया बेगम पत्नी सत्तार बेगम निवासी खिवाड़ा, तहसील देसूरी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. श्री किशोरसिंह राजपुरोहित, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री कमलेश चौहान, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
3. श्री मनोहर दास वैष्णव, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 2

–: निर्णय :–

दिनांक : 9.12.2019

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत ईसाली द्वारा मिसल संख्या 78/2008–09, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.06.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 02.11.2009 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम पंचायत ईसाली द्वारा मिसल संख्या 78/2008–09, प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.06.2009 की पालना में अप्रार्थी संख्य 2 के पक्ष में पट्टा संख्या 42 दिनांक 02.11.2009 जारी किया है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 रंजीया बेगम ग्राम ईसाली की निवासी नहीं है तथा न ही जैर निगरानी भूखण्ड पर उसका पुराना कब्जा है। अप्रार्थी संख्या 1 ने पंचायती राज नियमों के विपरीत जाते हुए, अप्रार्थी संख्या 2 के हक में जैर निगरानी पट्टा जारी किया है, जो काबिल निरस्त है। ग्राम पंचायत द्वारा जैर निगरानी विक्रय विलेख के संबंध में आम इश्तिहार जारी किया गया, न ही भौतिक रूप से भूखण्ड का सत्यापन किया गया एवं न ही उक्त पट्टे के संबंध में कोई आपत्ति आमंत्रित की गई। उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया पंचायत कार्यालय में ही बैठे बैठे पूरी कर दी गई। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विक्रय विलेख में दर्शित शर्तों की पालना नहीं की है एवं अप्रार्थी संख्या 1 ने अप्रार्थी संख्या 2 से प्राप्त राशि पंचायत कोष के खाते में जमा नहीं करवाई गई है जबकि ऐसा किया

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

जाने का आज्ञापक प्रावधान है तथा उन्होंने कथन किया कि अगर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त शेष राशि जमा करवा दी जाती है, तो उन्हें जैर निगरानी विक्रय विलेख से कोई आपत्ति नहीं है।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस पेश की है, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया है कि अप्रार्थी रजीया बेगम जो ग्राम खिवाड़ा की निवासी है तथा उसका पति उस वक्त पुलिस में था। ग्राम पंचायत ने उसके नाम जो पट्टा जारी किया है, वह नियमों के विपरीत जाते हुए जारी किया है। अप्रार्थी संख्या 2 ने उक्त पट्टे के संबंध में न तो तत्कालीन बाजार दर या डी.एल.सी. दर से राशि जमा कराई है तथा न ही ग्राम पंचायत द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में निलामी कार्यवाही की है। जिससे जैर निगरानी पट्टा निरस्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टे के संबंध में तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध संभागीय आयुक्त महोदय के समक्ष विभागीय कार्यवाही हुई थी, जिसमें वह दोषी करार दिया गया था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख खारिज फरमाया जावें।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने वक्त बहस कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 2 रजीया बेगम जो की ग्राम गुड़ा मोकमसिंह की निवासी है तथा उसके द्वारा अपने कब्जेशुदा भूखण्ड के विक्रय विलेख जारी करने हेतु ग्राम पंचायत में आवेदन पेश किया था, जिस पर ग्राम पंचायत द्वारा पत्रावली संख्या 78/2008–09 कायम करते हुए, पंचायत नियम 146 के तहत भूखण्ड का नक्शा बनाने हेतु तीन वार्ड पंचो की कमेटी कायम की तथा उसके पश्चात आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, जो दो मौतबिरानों के रूबरू सहज दृश्य स्थान पर चस्पा किया गया। इसके एक माह गुजरने के पश्चात कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जैर निगरानी पट्टा नियमानुसार जारी किया है। उक्त पट्टे के संबंध में पूर्व में शिकायत होने पर अप्रार्थी संख्या 2 ने वर्ष 2009–2010 की डी.एल.सी. दर अनुसार शेष राशि 31500/– पंचायत कोष में जमा करा दी है। प्रार्थी ने यह निगरानी अप्रार्थी संख्या 2 से रंजीश रखते हुए दर्ज करवाई है, जबकि वह जैर निगरानी पट्टा भूमि का हितबद्ध पक्षकार नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज फरमाई जावें एवं जैर निगरानी विक्रय विलेख कायम रखने के आदेश प्रदान करावें।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 की लिखित बहस का ध्यानपुर्वक अवलोकन किया गया तथा पत्रावली एवं ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड का अवलोकन किया गया। ग्राम पंचायत ईसाली ने अप्रार्थी संख्या 2 रजीया बेगम के आवेदन पत्र पर मिसल कायम करते हुए, तीन वार्ड पंचों द्वारा स्थल का निरीक्षण किया गया [illegible] बनाया गया। आक्षेप आमंत्रित करने हेतु जो नोटिस दिया गया, [illegible] किया गया एवं एक व्यक्ति के बयान दर्ज किए गए, जिसमें उसने अप्रार्थी संख्या 2 रजीया बेगम का कब्जासुदा पुश्तैनी भुखण्ड होने बाबत कथन किया है। पत्रावली पर उक्त भूखण्ड के संदर्भ में

Signature Not Verified
Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:13 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्धारित समयावधि में कोई आपत्ति प्राप्त होना जाहिर नहीं होता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने निगरानी प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 2 में अंकित किया कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम इसाली की निवासी नहीं है। तथा उसके नाम से पट्टा विधि विरूद्ध तरिके से जारी किया गया है, लेकिन उन्होने अपने इस तथ्य की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, न ही वे यह साबित करने में सफल हुए है कि अप्रार्थी संख्या 2 ग्राम इसाली की निवासी नहीं होकर अन्य ग्राम की निवासी है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया है कि अप्रार्थी संख्या 2 रजीया बेगम ग्राम खिवाड़ा की निवासी है, लेकिन उन्होंने अपने इस तथ्य की ताईद में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है, न ही वे यह साबित करने में सफल हुए है, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि अप्रार्थी संख्यां 2 रजीया बेगम खिवाड़ा की निवासी है। विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जो तथ्य जिस पक्ष द्वारा उठाया जाता है, उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पक्ष का होता है। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी लिखित बहस में उल्लेख किया कि तत्कालीन सरपंच के विरूद्ध जैर निगरानी पट्टे के संबंध में संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर के समक्ष चल रही विभागीय कार्यवाही में उन्हें दोषी पाया गया है, लेकिन उन्होंने अपने इस तथ्य के ताईद में लिखित बहस के संलग्न सरपंच के विरूद्ध आरोप पत्र की अप्रमाणित छायाप्रति पेश की है, जिससे यह साबित नहीं होता है कि उक्त कार्यवाही में सरपंच को दोषी घोषित किया गया है या नहीं ? एवं न ही उन्होंने यह स्पष्ट करने का प्रयास ही किया। यदि किसी हद तक आरोप पत्र एवं सन्दर्भित कार्यवाही को सत्य मान भी लिया जावे, तो इस संबंध में विधि का स्पष्ट सिद्धान्त है कि जब तक आरोपों पर परीक्षण/प्रतिपरीक्षण होकर उन आरोपों पर सक्षम न्यायालय द्वारा विनिश्चय नहीं किया जाता, तब तक आरोपी को दोषी नहीं माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त भी यह बिन्दु इस न्यायालय के विचारणीय अधिकार में नहीं होने से इस पर वर्तमान परिपेक्ष्य में किसी प्रकार की टिप्पणी आवश्यक नहीं है। जहां तक जैर निगरानी भूखण्ड के संबंध में शेष राशि, जो अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा विक्रय विलेख जारी होने के समय जमा नहीं करवाए जाने का प्रश्न है तो विकास अधिकारी द्वारा की गई जांच में राशि कम जमा होने के तथ्य प्रकट होने पर, अप्रार्थी द्वारा तत्कालीन डी.एल.सी. दर से जमा करा दी गई है तथा उसकी जमा रसीद की प्रति वक्त बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 ने पेश की है, जो संलग्न पत्रावली है। इस संबंध में अधिवक्ता प्रार्थी ने भी अपनी बहस में कथन किया कि अगर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त शेष राशि जमा करवा दी जाती है तो उन्हें जैर निगरानी विक्रय विलेख से कोई आपत्ति नहीं है। प्रार्थी द्वारा जिन तथ्यों को आधार बनाते हुए यह निगरानी याचिका पेश की है। उनका सिलसिलेवार परीक्षण करने पर उक्त तथ्य बलहीन पाये गए है। तद्नुसार निगरानी याचिका चलने योग्य नहीं है। उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी विक्रय विलेख को निरस्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:13 IST
Reason: SelfAttested

परिणाम... निगरानी सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती हैं तथा ग्राम पंचायत ईसाली द्वारा मिसल संख्या 78/2008–09,

अति. जिला कलेक्टर, पाली

प्रस्ताव संख्या 03 दिनांक 05.06.2009 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 42 दिनांक 02.11.2009 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का रेकर्ड लौटाया जावे।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 9.12.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(वीरेन्द्रसिंह चौधरी)
अति. जिला कलक्टर, पाली

Signature Not Verified

Digitally signed by Virendra Singh Choudhary
Date: 2021.01.28 11:48:13 IST
Reason: SelfAttested